न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00093 (339/2018) 223 आरटीएक्ट

शकुन्तला पत्नी विजय कुमार कौम महाजन साकिन भादरा, जिला हनुमानगढ़

–अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील भादरा –रेस्पोडेण्ट्स

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा दिनांक 12.9.2018 प्रकरण संख्या 138/2016

उपस्थितः–

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मागेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः–08.02.2019

1. रेस्पोडेण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम में एक वाद पत्र पेश किया। वाद पत्र में कथन किया कि प्रतिवादी ने अपनी भूमि का गैर कृषि कार्य में उपयोग के लिए सक्षम सवीकृति व संपरिवर्तन न कराकर नियमों का उल्लंघन किया है, जो धारा 177 का उलंघन है वह सदभावी काश्तकारी की श्रेणी में नहीं आता है अतः भूमि को सिवाय चक घोषित की जावे। उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 12.09.2018 के द्वारा भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित किये जाने के आदेश दिये तथा उक्त भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार प्राप्त करने का निर्णय पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने यह कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी पकार की कार्यवाही करने हेतु सक्षम नहीं है। उपखण्ड अधिकारी को सुनवाई का अधिकार नही होन के कारण उसके द्वारा जारी डिक्री क्षेत्राधिकारिता में जारी की गई डिक्री नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। सभी सह काश्तकार को वाद पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि प्रत्येक सहकाश्तकार प्रत्येक इन्च भूमि पर काबिज खातेदार काश्तकार है। विचारण न्यायालय के समक्ष जिरह के दौरान बतौर गवाह रेस्पोडेन्ट उपस्थित होकर दौराने जिरह यह स्वीकार किया है कि विवादित कृषि भूमि के मौका पर नहीं गये एवं कितनी लम्बाई चौड़ाई पर भट्टा है यह भी पता नहीं किया एवं मौके पर भट्टा चलने से भी इन्कारी की है एवं 1/50 हिस्से से कम भूमि गैर कृषि हेतू उपयोग में ली जा रही है की जानकारी होने से भी इन्कार किया है। दावा में सत्यापन के नीचे भी वादी के हस्ताक्षर नहीं होना भी कहा है ऐसी स्थिति में वाद साबित नहीं है। खाता विभाजन का वाद पृथक से विचाराधीन है अपीलान्ट द्वारा नियमानुसार ही कृषि एवं अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग किया जा रहा है।

सत्यमेव जयते
Web copy - Not Official

रूपातंरण हेतू तत्पर एवं इच्छुक है। पटवारी की रिपोर्ट एक पक्षीय है। जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्टा द्वारा प्रश्नगत भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाये बिना ईंट भट्टा लगाकर उपयोग में लाया जा रहा है जो अकृषि कार्य है। उक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैर कृषि कार्यो में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तनल न कराकर नियमों का उल्लंघन किया है जो धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रतिवादी सद्भावी काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है। अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपील में यह तथ्य आया है कि प्रश्नगत भूमि के सभी काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। सभी काश्तकारों को सुने बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी चक घेउ तहसील भादरा संवत् 2071 से 2074 संलग्न है, जिसमें शकुन्तला देवी अपीलान्ट के अलावा और भी काश्तकार है जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हानिप्रद कार्य का शर्त भंग के कारण बेदखली के प्रावधान किए गये है जिसमें उपधारा (3) में यह उल्लेख है कि इस धारा के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर न्यायालय विपक्षी को एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे ऐसी अवधि जो नोटिस में उल्लेखित की जाए के अन्दर उपस्थित होने और इस बात का कि उसे भूमि क्षेत्र से बेदखल क्यों न कर दिया जाए कारण बताने का आदेश देगा। उपधारा (4) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि वह नोटिस में उल्लेखित अवधि के भीतर उपस्थित होता है और बेदखल किये जाने के दायित्व का विरोध करता है तो न्यायालय यथोचित न्यायालय शुल्क का भुगतान करने पर उस आवेदन पत्र को वाद समझेगा और उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेगा जिस प्रकार की एक वाद में कार्यवाही का निस्तारण किया जाता है। इसके अलावा धारा 178 (2) में यह प्रावधान है कि "ऐसी डिक्री या आज्ञा में यह भी निर्देश होगा कि अगर आसामी डिक्री या आज्ञा की तारीख से तीन महीने के भीतर या ऐसी अग्रेतर अवधि के भीतर जिसके लिए न्यायालय कारण लिख कर अनुमति दे, टूट–फूट की मरम्मत करवा दे, या ऐसे मुआवजे का भुगतान कर दे जो न्यायालय उचित समझे तो डिक्री या आज्ञा का लागत के अलावा अन्य किसी के लिए निष्पादन नहीं किया जायेगा।" यहां इस तरह के कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं जो अपेक्षित थे। इस प्रकरण में सह खातेदार को पक्षकार भी नहीं बनाया है। अपीलाण्ट का कहना है कि उसका खाता विभाजन का दावा जैरकार है और विभाजन करवाकर सम्परिवर्तन करना चाहात है। यदि खातेदार नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए एवं देय शुल्क का भुगतान कर कार्यवाही करवाना चाहते है, तो उसका भी परीक्षण कर निस्तारण करना चाहिए जो नहीं किया गया है। अपीलान्ट का यह भी कथन है कि वह प्रश्नगत भूमि को अकृषि कार्य में संपरिवर्तन हेतू इच्छुक एवं तत्पर है। संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि में जब तक खाता विभाजन नहीं हो जाता प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक ईंच पर कब्जा माने जाने की अवधारणा है विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सभी सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकार है।
7. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य बनती

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जमाबंदी चक घेउ तहसील भादरा संवत् 2071 से 2074 में अंकित समस्त सहखातेदारान को पक्षकार बनाते हुए साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः परीक्षण करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय प्रसारित करे।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/2/19

मूल चन्द (आर0ए0एस0)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज0)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official